कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
वन भवन, तुलसी नगर, लिंक रोड न. 2, मध्य प्रदेश, भोपाल – 462003

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755–2674354 **E-mail: pccfprod@mp.gov.in**

क्रमांक / उत्पा. / निर्वतन / 2025 / 1380 भोपाल, दिनांक 28 / 04 / 2025

प्रति,

समस्त वनमंडलाधिकारी(क्षेत्रीय / उत्पादन)

मध्यप्रदेश

विषय :– नीलाम में डिपो से अवरोध मूल्य पर ईमारती लकड़ी की सीधी बिक्री।

संदर्भ :– मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक / FOR/5/0002/2025-Sec-3-10(FOR)/95, दिनांक 21.04.2025 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक / उत्पा. / निर्वर्तन / 1323, दिनांक 22.04.2025

––::00::––

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश शासन के संदर्भित आदेश के द्वारा निर्देशित किया गया है कि" **विक्रय डिपो से किसी लॉट का प्रथम नीलाम में निर्वर्तन नहीं होने पर अवरोध दर पर विक्रय डिपो से सीधे भी बिक्री की जाय। प्रथम नीलामी में बोली मान्य हुये लॉट को यदि बोलीदार नहीं उठाता है तो ऐसे लॉट को पुनः नीलामी में रखा जाये।"**

शासन के निर्णय अनुसार उक्त व्यवस्था को क्रियान्वित करने के लिए निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

1. प्रत्येक लॉट के लिये निर्धारित अवरोध मूल्य पर डिपो से लॉट का प्रदाय किसी भी उपभोक्ता, व्यापारी संस्थान आदि को किया जा सकेगा।
2. अवरोध मूल्य के ऊपर समय–समय पर नियमानुसार समस्त करों की वसूली भी यथावत की जाएगी।
3. नीलाम के लिये निर्धारित तिथि को नीलाम (ई–नीलाम / भौतिक नीलाम) समाप्ति की घोषणा के तत्काल पश्चात् आगामी नीलाम तिथि (ई–नीलाम / भौतिक नीलाम) के 10 दिन पूर्व तक अवरोध मूल्य पर लॉट की सीधी बिक्री की व्यवस्था रहेगी। इसके पश्चात आगामी नीलाम तिथि तक यह व्यवस्था स्थगित रहेगी।
4. कोई भी इच्छुक क्रेता वनमंडल कार्यालय में अथवा संबंधित काष्ठागार कार्यालय में अवरोध मूल्य पर लकड़ी के लॉट क्रय हेतु प्रत्येक काष्ठागार में सीधी बिक्री हेतु उपलब्ध लॉटों की सूची एवं उसका अवरोध मूल्य कार्यालयीन समय में देख सकता है। काष्ठागार में ऐसे लॉट के निरीक्षण की सुविधा कार्यालयीन समय में उपलब्ध रहेगी।
5. क्रेता जिस लॉट को क्रय करना चाहता है, उसका सम्पूर्ण क्रय मूल्य निर्धारित भुगतान प्रक्रिया के अनुसार जमा करते हुए वनमंडल कार्यालय में आवेदन देना होगा। उक्त आवेदन पर वन मंडलाधिकारी एवं उनकी अनुपस्थिति में उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उप वनमण्डल अधिकारी / सहायक वन संरक्षक) प्रथम आवे प्रथम पावे के सिद्धान्त पर लॉट की विक्रय स्वीकृति एवं कार्य आदेश एक साथ जारी कर देगा। यह आदेश यथासंभव उसी दिन अथवा असामान्य परिस्थिति में अगले दिन जारी किया जावेगा। इस आदेश के आधार पर क्रेता काष्ठागार में जाकर लकड़ी उठा सकेगा। किसी भी नीलाम में जो इमारती काष्ठ निर्वर्तित हो

जाती है उनको मटेरियल लिस्ट से हटाया जाकर शेष इमारती काष्ठ को सीधे विक्रय के लिये उपलब्ध रखा जाएगा। अगले नीलाम (ई–नीलाम/भौतिक नीलाम) के 6 दिन पहले मटेरियल लिस्ट तैयार होगी, जिसमें नीलाम से 10 दिन पहले तक अविक्रित समस्त लॉट आगामी नीलाम (ई–नीलाम/भौतिक नीलाम) में प्रस्तावित होंगे।

6. डिपो से इमारती काष्ठ की सीधी बिक्री में अवरोध मूल्य पर सीधी विक्री से विक्रय किये गये लॉटों पर डिपो विक्रय की समस्त शर्तें (शर्त क्रमांक 1(a), (b) एवं 2(a) एवं 2(b) तक को छोड़कर) लागू होगी। प्रत्येक डिपो हेतु अवरोध मूल्य पर विक्रय की गई काष्ठ का लेखा जोखा पृथक से संधारित किया जायेगा। इस व्यवस्था अंतर्गत अवरोध मूल्य से तात्पर्य प्रथम नीलाम में वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक द्वारा निर्धारित किसी भी इमारती काष्ठ के लॉट के अवरोध मूल्य से रहेगा। जिसमें किसी प्रकार की कमी करने का अधिकार नहीं रहेगा।

7. उपरोक्त सीधी बिक्री के अंतर्गत इमारती काष्ठ के अधिकतम रू. 4 लॉख मूल्य तक के लॉटों का निर्वर्तन किया जा सकेगा। इससे अधिक मूल्य के लॉटों को नीलाम के माध्यम से निर्वर्तन किया जाएगा।

8. यह व्यवस्था दिनांक 01.05.2025 से प्रारंभ की जाएगी तथा आगामी आदेश तक जारी रहेगी। दिनांक 01.05.2025 से पूर्व के समस्त नीलामी (ई–नीलाम/भौतिक नीलाम) की अविक्रित इमारती काष्ठ हेतु भी यह व्यवस्था लागू रहेगी। समस्त वन संरक्षक तथा उनके अधीनस्थ वन मंडलाधिकारी उपरोक्त सुविधा का प्रचार–प्रसार करे।

28/4/25

(एच. यू. खान)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्रमांक/उत्पा./निर्वर्तन/2025/1381 भोपाल, दिनांक 28/04/2025

प्रतिलिपिः–

1. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक(क्षेत्रीय), मध्यप्रदेश की ओर सूचनाथ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश, भोपाल